भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 629 का उत्तर

ट्रेन रेक के दोनों छोर पर अनारक्षित श्रेणी के कोच की उपलब्धता

629. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ट्रेन के रेक में सिर्फ़ एक छोर पर अनारक्षित/सामान्य सीटिंग कोच होते हैं, जबकि पहले ऐसे कोच रेक के दोनों छोर पर होते थे;

(ख) यदि हाँ, तो इन बदलावों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि जो लोग आम तौर पर अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करते हैं, उनके पास ज़्यादा सामान होता है और यदि दोनों छोर पर सामान्य सीटिंग कोच नहीं होते हैं, तो उन्हें सामान और बच्चों सहित परिवार के साथ प्लेटफ़ॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ कर जाना पड़ता है और यह तब मुमकिन नहीं हो पाता है जब ट्रेन किसी स्टेशन पर कम समय के लिए रुकती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार अब से रेक के दोनों छोर पर कम से कम कुछ अनारक्षित श्रेणी के कोच को रखना आवश्यक कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) सामान्य श्रेणी/अनारक्षित यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जिन गाड़ियों में सामान्य श्रेणी/अनारक्षित डिब्बों की सुविधा हैं, उनमें दोनों छोरों पर सामान्य श्रेणी के डिब्बों को लगाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब तक, अधिकांश गाड़ियां, जिनमें सामान्य श्रेणी/अनारक्षित डिब्बों की सुविधाएं हैं, उनके दोनों छोरों पर सामान्य श्रेणी के डिब्बे लगाए जा

चुके हैं। शेष गाड़ियां, जिनमें एक छोर पर सामान्य श्रेणी के डिब्बे लगे हैं, उनके दोनों छोरों पर इन्हें लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

*****